21.06.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी का आपस मे राजीनामा हो गया। इसलिए प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता। प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज (विड्रा) फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत मे विड्रा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ